

अंग्रेजों की भूमि-कर व्यवस्था तथा प्रशासन

रवीन्द्र बहादुर सिंह

<https://doi.org/10.61410/had.v21i3.328>

साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन से अधिक से अधिक आर्थिक लाभ लेने का प्रयत्न किया। कंपनी के अधिकारी स्वतंत्र व्यापार में विश्वास करते थे इसलिए उन्होंने आयात तथा निर्यात कर से अधिक राजस्व प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी तथा राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर ही रहा और उसी पर मुख्य बल तथा ध्यान दिया।

अंग्रेज भारत को एक बड़ी जागीर मानते थे और भारत में ऐसी भूमि कर व्यवस्था लागू करना चाहते थे जिससे अधिक से अधिक भू-राजस्व प्राप्त किया जाए। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में तीन प्रकार की भू-धृति पद्धतियां (Land tenure systems) अपनाई अर्थात् स्थाई (जमींदारी), महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी। स्थाई जमींदारी पद्धति बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, U.P. के बनारस खण्ड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई तथा लगभग समस्त भारत की 19 प्रतिशत भूमि इसके अंतर्गत आई। महलवाड़ी भू-धृति पद्धति यू.पी., मध्य, प्रांत पंजाब में (कुछ परिवर्तनों के साथ) लागू की गई जिसके अंतर्गत 30: भूमि आई। रैयतवाड़ी पद्धति बंबई तथा मद्रास के अधिकांश भागों में, असम तथा अन्य भागों में लागू की गई और इसके अंतर्गत 51: भूमि आई।

स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजी सरकार की देन थी। तथा इसका आरम्भ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। इस पद्धति के अनुसार जमींदार को (जो प्रायः भूमि कर संग्रहकर्ता ही होता था) भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। राज्य भूमि कर देने के लिए केवल जमींदार को ही उत्तरदायी समझता था, तथा उसके कर न देने पर उसकी जमीन जब्त की जा सकती थी। कम्पनी को इस व्यवस्था से लाभ के रूप में आय का एक निश्चित हिस्सा तय हो गया, जिस पर फसल नष्ट होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दूसरा लाभ यह हुआ कि जमींदार के रूप में कम्पनी ऐसे वर्ग का सहयोग मिला जो लम्बे समय तक कम्पनी के प्रति निष्ठावान बना रहा। परन्तु कृषकों को काफी कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि इस व्यवस्था में यह निश्चित नहीं था कृषकों को कितना देना था। ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि कम्पनी की आय तो निश्चित हो गई, फलतः जमींदार प्रगतिशील होंगे, क्योंकि कृषि के विकास होने से लाभ जमींदार को ही होना था, लेकिन जमींदार प्रगतिशील नहीं हो सके।^१

1790 में इसे दस वर्षों के लिए लागू किया गया लेकिन 1793 में इसे स्थाई कर दिया गया। भूमि पर कृषकों का परम्परागत अधिकार समाप्त हो गया। यहां तक चारागाह, नदी, वन आदि सार्वजनिक क्षेत्र भी जमींदारों के पास चले गए। भूराजस्व में जमींदार का हिस्सा 1/11 तथा सरकार का हिस्सा 10/11 निर्धारित किया गया।

इस स्थायी बंदोबस्त का धिनौना पक्ष यह था कि सरकार की मांग तो स्थिर थी, परन्तु जो भाटक (Rent) जमींदार कृषक से लेता था वह परिवर्तनशील था। अतएव कालान्तर में भाटक बढ़ा दिया गया। भाटक न देने पर कृषकों को बहुधा बेदखल कर दिया जाता था।

- असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास विभाग), का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

सर रिचर्ड टेम्पल ने अपनी पुस्तक “मैन एण्ड इवेंट्स ऑफ़ माई टाइम इन इण्डिया”-1 में लिखा है कि “लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त” एक ऐसा उपाय था जो बंगाल की जनता के बीच इंग्लैंड की जमींदारी से सम्बन्धित संस्थाओं को स्वाभाविक बनाने में कारगर साबित हुआ।”

महलवाड़ी बन्दोबस्त में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल (जागीर का एक भाग) होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी जिसे भागीदारों का समूह (body of co-sharers) कहते थे। ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे, यद्यपि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था।

महलवाड़ी व्यवस्था को 1822 के रेगुलेशन VII द्वारा कानूनी रूप दे दिया गया। जहां जमींदार लगान एकत्र करते थे वहां लगान भूमि किराये का 30% प्रतिशत रखा गया। किन्तु उन क्षेत्रों में जहां भूमि ग्राम-समाज की सम्मिलित भूमि थी वहां भूमि-किराए का 95 प्रतिशत तय कर दिया गया। यह लगान बहुत अधिक था।

विलियम बेंटिंक की सरकार ने 1822 की योजना की पूर्ण रूप से समीक्षा की तथा इस परिणाम पर पहुंची कि इस योजना से लोगों को बहुत कठिनाई हुई है और यह अपनी कठोरता के कारण विफल हो गई है। काफी सोच-विचार के बाद 1833 के रेगुलेशन पारित किए गए जिसके द्वारा भूमि की उपज तथा भू-भाटक का अनुमान लगाने की पद्धति सरल बना दी गई। भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न-भिन्न औसत भाटक निश्चित किया गया। यह नई योजना मार्टिन बर्ड की देख-रेख में लागू की गई। उन्हें उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक के नाम से याद किया जाता है।

1833 ई० के रेगुलेशन प तथा मार्टिन बर्ड की भूमि व्यवस्था द्वारा इसका नवीनीकरण हुआ। इसके तहत विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का औसत निकाला गया। पहली बार किसी व्यवस्था में भूराजस्व निकालने के लिए खेतों के मानचित्रों तथा पंजियों का इस्तेमाल किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था में भूराजस्व का 66: सरकार के लिए निश्चित किया गया था तथा 30 वर्षों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई। जेम्स टॉमसन के समय से इसे कम किया गया क्योंकि उनके अनुसार 66 प्रतिशत भाग अधिक था। इस प्रकार सहारनपुर नियम के अनुसार जेम्स टॉमसन ने 50 प्रतिशत निश्चित कर दिया। इस प्रकार मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बन्दोबस्त में यह व्यवस्था अपने अच्छे रूप में सामने आई।

रैयतवाड़ी पद्धति के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वह ही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। वह अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जा सकता था जब तक वह समय पर भूमि कर देता रहे। भारत के ग्राम समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए मुनरो ने अपना रैयतवाड़ी बन्दोबस्त लागू किया। लेकिन अन्ततः उसका उद्देश्य दक्षिण में राजस्व के आधार को व्यापक बनाकर कम्पनी के शासन को मजबूत बनाना ही था। वहां ब्रिटिश अफसरों की एक बड़ी संख्या किसानों से सीधे भूमि सम्बन्धी कर वसूलती थी। कर-वसूली का विचार मुनरो ने टीपू सुल्तान के मैसूर के ष्पैन्य वित्तवाद (military Fiscalism)² की व्यवस्था से उधार लिया था। इस तरह लगता है कि ये दोनों व्यवस्थाएं (स्थायी, रैयतवाड़ी) केन्द्रीकृत प्रभुता और निजी सम्पत्ति के उन्हीं बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित थीं, जिनको ब्रिटिश कानूनों के सहारे सुरक्षित

रखना आवश्यक था। जैसा कि बर्टन स्टाइन का तर्क है कि मुनरो यह मानता था भारत के कुछ भागों पर अप्रत्यक्ष शासन होना चाहिए, हालांकि उसका विचार था कि शासन के परम्परागत भारतीय रूप तभी अच्छी तरह काम करेंगे, जब कि उसके (मुनरो के) जैसे ज्ञानवान और सहानुभूति रखने वाले लोग भारी और केन्द्रीकृत सत्ता के साथ उनको निर्देशित करें। यह अधिकार वादी पैतृकवृत्ति भारतीयों की प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी के विचार को अस्वीकार करती थी।³ इसलिए सम्मान वृत्ति और पैतृक-वृत्ति भारत में आरम्भिक ब्रिटिश साम्राज्य की दो पूरक विचार धाराएं रही। अहम् बात यह है कि शीघ्र ही यह पता चल गया कि साम्राज्यिक अधिकार वृत्ति भारत के ग्रामीण समाज के उन स्थानीय कुलीनों के साथ बंगाल में जमींदारों और मद्रास में मीरासदारों के साथ मिलकर बखूबी काम कर सकती थी। इस कारण उनकी शक्ति को कार्नवालिस और मुनरो दोनों की व्यवस्थाओं ने शक्तिशाली बनाया और ये दोनों व्यवस्थाएँ निजी सम्पत्ति का विवेचन और संरक्षण करना चाहती थी। जब अवध के ताल्लुकेदार नष्ट हुए तो उनके आक्रोश ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया और विद्रोह के बाद उनकी पिछली शानो-शौकत और शक्ति वापस दिलाए गए।⁴

इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की भू-राजस्व प्रणाली दोष पूर्ण थी, इससे भारतीय कृषक वर्ग का भयंकर शोषण हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई।

सन्दर्भ ग्रन्थ —

- (1) Man events of my time in India
- (2) स्टाइन 1985, अध्याय 1-2,
- (3) स्टाइन 1989, 351-53,
- (4) रीब्ज 1991रू 11-12,